प्रपत्रः–8

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः– अटल सेवा केन्द्र, धनवा)

प्रकरण सः– 112/2018

क्रमांकः–लो.अदा./2018/ 1620 दिनांकः–18.6.2018

## आदेश

वादी श्री गुलाबसिंह पुत्र धुकसिंह जाति राजपूत निवासी बामणी तहसील सिणधरी हाल निवासी बालोतरा व जिला बाड़मेर की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गोलिया महेचान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 111,292,294 कुल रकबा 60–12 बीधा व इसी ग्राम की खसरा संख्या 136 रकबा 37–12 बीधा मेरे पिता धुकसिंह की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। मेरे पिता के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण में धेरलू बोलाचल भाषा में मेरा नाम मांगा दर्ज कर दिया गया। जबकि मेरा वास्तविक नाम मांगा न होकर गुलाबसिंह है। अतः वादग्रस्त भूमि में मांगा के स्थान गुलाबसिंह दर्ज किया जावें।

वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के वादपत्र की जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। वादी गुलाबसिंह व वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार वादी के भाई–माता भेरा एवं गंगादेवी एवं श्री मोड़ा पुत्र मिसरा,श्री कौशला पुत्र मंगला के संयुक्त बयानात कलमबद्व कर शामिल मिसल किये गये।

तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादी के पिता के देहान्त होने पर ग्राम गोलिया महेचान के नामान्तकरण संख्या 145 द्वारा वादी के नाम दर्ज हुई है,लेकिन अन्य सरकारी दस्तावेजों यथा– आयकर विभाग के पेनकार्ड,ड्राइविंग लाईसेन्स,बैक डायरी में वादी का सही नाम गुलाबसिंह दर्ज हैं,जो मांगा के स्थान पर गुलाबसिंह दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। वादी एवं वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार वादी के सगे भाई श्री भेरा एवं उसकी माता श्रीमति गंगा एवं मोड़ा एवं मंगला ने अपने बयानों में स्वीकार किया है,कि वादी उसका सगा भाई है,वादी का वास्तविक नाम गुलाबसिंह है,लेकिन वादी के पिता धुकसिंह के फोत होने पर भरे गये नामान्तकरण में गुलाबसिंह के स्थान पर मांगा गलत नाम दायर किया गया। जो अशुद्व आदिनांक तक रिकार्ड में चला आ रहा है। वादी का वादग्रस्त भूमि में मांगा के स्थान पर गुलाबसिंह दर्ज किया जाता है,तो हमें कोई आपर्ति नहीं है। हम सहमत है,एवं मजमे आम में पुछताछ करने पर पाया कि वादी का वास्तविक नाम मांगा न होकर गुलाबसिंह है। एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी समग्र जांच रिर्पोट में वादग्रस्त भूमि में मांगा के स्थान पर गुलाबसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम गोलिया महेचान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 111,292,294 कुल रकबा 60–12 बीघा व इसी ग्राम की खसरा संख्या 136 रकबा 37–12 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि **मांगा पुत्र धूका** के स्थान पर **मांगा उर्फ गुलाबसिंह पुत्र धूकसिंह** दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। शेष बदस्तूर रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

क्रमांकः—लो.अदा. / 2018 / 1621-23 दिनांकः—18.6.18

प्रतिलिपिः-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मांगा उर्फ गुलाबसिंह पुत्र धूकसिंह जाति राजपूत निवासी बामणी तहसील सिणधरी हालॅ निवासी बालोतरा व जिला बाड़मेर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

15/6/18

Scanned by CamScanner